न्यायालय [redacted] उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 69/2014

1. श्री मुकेश कुमार सोनी पुत्र श्री कुंजबिहारी सोनी उम्र – वयस्क जाति सोनी
2. कुंज बिहारी सोनी पुत्र श्री स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल सोनी उम्र – वयस्क जाति सोनी

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री श्यामबिहारी पुत्र स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री सुवालाल
2. श्री मुकुटबिहारी पुत्र स्वार्गीय श्री कन्हैयालाल योनी उम्र – वयस्क
3. श्री कृष्ण मुरारी पुत्र स्वार्गीय श्री कन्हैयालाल योनी उम्र – वयस्क
4. श्री मनोज कुमार पुत्र स्वार्गीय श्री पृथ्वीराज योनी उम्र – वयस्क
   समस्त जाति सोनी (सुनार) निवासीयान – गाम जालिया द्वितीय थाना बिजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर।
5. श्रीमती नानीदेवी पुत्री स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ रोकडमल जाति सोनी निवासी – टुकरवाड थाना शम्भूगढ जिला भीलवाडा।
6. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री मोहनलाल जाति सोनी निवासी – बडा मन्दिर के पास, माण्डल थाना माण्डल जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब एवं पंजीयन अधिकारी महोदय, बिजयनगर जिला अजमेर।

—— अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राज. काश्त. अधि. एवं सहपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:– निर्णय :–

दिनांक 01.06.2016

इस वाद पत्र में वादीगण ने सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 3893 मिन रकबा 0.9389, 3898 मिन रकबा 0.3480, 3901 मिन रकबा 0.8904 व 3917 मिन रकबा 1.7158 कुल किता 4 रकबा 3.8931 वादीगण की पुश्तैनी भूमियां है जो वादी सं0 1 के दादा व वादी सं0 2 के पिता स्व0 कन्हैयालाल पुत्र कालूराम सोनी की खातेदारी में थी। स्व0 कन्हैयालाल की मृत्यु दिनांक 09.03.2006 को हो चुकी है जिनके वारिसान उनकी पत्नी सोहनी देवी पुत्रगण कृष्ण बिहारी, मुकुट बिहारी, कृष्ण मुरारी तथा पुत्रीयां नानी देवी व स्व0 चांदी देवी है। प्रतिवादीगण सं0 1 से 6 ने ग्राम पंचायत जालिया द्वितीय से मिलीभगत करके स्व0 कन्हैयालाल के सोहनी देवी पत्नी व पुत्रान स्व0 पृथ्वीराज, श्याम बिहारी, कुंज बिहारी, कृष्ण बिहारी, मुकुट बिहारी, नानी देवी व स्व0 चांदी देवी को वारिसान बताकर गलत सजरा दिनांक 26.05.2006 को बनवाया जिसमें गीतादेवी पत्नी मनोज पुत्र व पुत्रियां भगवती, तारादेवी, सोनू व सीमा को दर्शाया है। जबकि श्याम बिहारी स्व0 सुवालाल का दत्तक पुत्र होकर सम्पत्तियों पर काबिज है तथा पृथ्वीराज स्व0 चौथमल का दत्तक पुत्र है और वह व उसके वारिसान उसकी सम्पत्तियों पर काबिज हैं। वादीगण को उनकी पुश्तैनी भूमियों से बेदखल करने की मंशा से वादी सं0 1 से 6 ने वादी सं0 1 की अनुपस्थिति में नशे के आदि साक्षर भोले प्रतिवादी सं0 2 से दिनांक 14.07.2006 को हक त्याग का पंजीयन करवा लिया है। स्व0 कन्हैयालाल जी की पत्नी सोहनी देवी के जीवित रहते उसे मृत बता दिया गया है और प्रतिवादी सं0 4 ने भी फर्जी सजरे के आधार पर वादीगण की पुश्तैनी अराजी में अपना नाम लगवा कर अन्यत्र बेच दी है जिसमें खनन से बेशकीमती पत्थर बेच कर वादीगण को नुकसान पहुंचा रहे है।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

वादी सं0 1 को इसकी जानकारी दिनांक 13.10.2011 को राजस्व अभिलेख की प्रतियां निकलवाने पर हुई। प्रतिवादीगण को ओलम्बा देने पर उन्होनें वादीगण को पुश्तैनी भूमियों से बेदखल करने की धमकी दी। प्रतिवादीगण सं0 1 से 6 वादीगण की पुश्तैनी विवादित अराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचने पर आमादा है इसलिए उन्हें विवादित भूमियों को दीगर व्यक्तियों को बेचने एवं खुर्दबुर्द करने रोकने हेतु यथास्थिति बनाई रखी जावे अन्यथा वादीगण असहनीय क्षति होगी।

अतः वाद बहस वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जावे कि सजरा प्रमाण पत्र दिनांक दिनांक 26.05.2006 तथा हक परित्याग पत्र दिनांक 14.07.2006 शून्य एवं प्रभावहीन है। प्रतिवादीगण 1 से 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विवादित अराजी को खुर्दबुर्द करने एवं बेचान हस्तांतरण आदि से निषेध किया जावें। प्रतिवादी सं0 7 को भी अभिलेख की स्थिति एवं दस्तावेज पंजीयन से निषेध किया जावे।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मुख्यालय जालिया द्वितीय पर पेश हुई। वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 से 6 उपस्थित आये। उन्हें सुना गया। वादीगण ने बावजूद उपस्थित रहने के आदेशिका पर हस्ताक्षर करने के मना किया। वादीगण के तर्क रहे कि दिनांक 26.05.2006 को उनके दादा/पिता स्व0 कन्हैयालाल जी का सजरा गलत बनवाकर प्रतिवादी सं0 1 से 6 ने अपने नाम उनकी पुश्तैनी अराजी में लगवा लिए तथा वादी सं0 2 से दिनांक 14.07.2006 को फर्जी हक त्याग प्रतिवादी सं0 3 ने अपने पक्ष में करवा लिया है। इन दोनों दस्तावेजों को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादीगण के तर्क रहे कि वादी सं0 2 कुंज बिहारी ने प्रतिवादी सं0 3 के पक्ष में स्वेच्छा से हक त्याग किया है। हक त्याग पत्र विधिक रूप से रजिस्टर्ड हुआ है। इस न्यायालय को हक त्याग पत्र एवं सजरे को प्रभाव शून्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। हक त्याग एवं सक्सेसर घोषित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय ए.डी.जे. का बनता है। अतः वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से सव्यय निरस्त किया जावे।

मैंने पक्षकारान के तर्क वितर्क के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि हक त्याग पत्र प्रतिवादी सं0 3 के पक्ष में वादी सं0 2 एवं अन्य वारिसान द्वारा विधिक रूप से किया गया है। सजरा यदि गलत था तो वादी को उसके आधार पर हुए नामान्तकरण की अपील करनी चाहिए थी। प्रकरण में ध्यानपूर्वक मनन करने पर प्रथम दृष्टिया मामला इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं बनता अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। वादीगण सक्षम न्यायालय में वाद ले जाने के लिए स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम जालिया द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.04 16:39:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: